FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

राज0 भंडार व्यवस्थस निगम राज्य भंडार गृह **बनाम** धनपत राय वगै0

किस्म मुकदमा—धारा 80(2) राज.नगरपालिका अधि. नंबर 20/2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2023	अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 उपस्थित। निगरानीकार सं0 02 से 05 अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार की ओर से प्रश्नगत पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूंकि निगरानीकार द्वारा जिस पटटे को माननीय न्यायालय श्रीमान के यहॉ चुनौती दी गई है वह पटटा नगरपालिका मण्डल दौसा द्वारा दिनांक 29.1.2002 को जारी किया गया है एवं उप पंजीयक दौसा के द्वारा उक्त पटटे का पंजीयन किया गया है। उक्त पटटे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही हो कर सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण धारा 80(2) नगरपालिका अधिनियम के तहत पटटे को निरस्त किये जाने हेतु विचाराधीन है जो इस न्यायालय में पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है। नगरपालिका मण्डल दौसा हाल नगर परिषद दौसा का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official